न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 80/2022 बउनवानी रामसहाय बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी पुत्र रूग्गा माली, निवासी खानपुर बडौदा तहसील गंगापुर सिटी

GCMS No-2022/143

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज

14.9.2022

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 26.5.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. न्यायालय सहायक भूप्रबंध अधिकारी गंगापुर सिटी द्वारा माफी मंदिरान पत्रावली संख्या 49/1983 निर्णय दिनांक 4.2.1983 के निर्णय की सम्पूर्ण पत्रावली की नकल चाहिए।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी के जवाब नोटिस कमांक/सूकाअ/2022/2818–19 दिनांक 7.9.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 26.5.2022 से चाही गयी सूचना कार्यालय मे उपलब्ध नही है जिसके संबंध मे अपीलान्ट को पूर्व पत्रांक/भू.अ./2022/1862 दिनांक 14.6.2022 के द्वारा अपीलान्ट को वस्तस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 26.5.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र चाही गयी सूचना तहसीलदार गंगापुर सिटी के कार्यालय मे उपलब्ध नही होने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है जिसके संबंध में अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 1862 दिनांक 14.6.2022 से अवगत कराय जा चुका है। अपीलान्ट द्वारा पत्रावली संख्या 49/1983 निर्णय दिनांक 4.2.1983 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गयी है जो जिला अभिलेखागार से जारी हुई है। जिससे स्पष्ट होता है कि वांछित सूचना से संबंधित अभिलेख की पत्रावली जिला अभिलेखागार मे जमा होने के कारण लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गंगापुर सिटी के कार्यालय से अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलान्ट को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना जिला अभिलेखागार से नियमानुसार प्राप्त की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश सुनाया न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:33:22 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर